/निग0-4921/2018/अनूपपुर/भू.रा. (34) 141

न्यायालय मे श्रीमान (अध्यक्ष) सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

1. कैलाशचन्द्र आयु 65 वर्ष पिता सुन्दरलाल अग्रवाल,
2. ओमप्रकाश आयु 59 वर्ष पिता सुन्दरलाल अग्रवाल,
3. चन्द्रप्रकाश आयु 56 वर्ष पिता सुन्दरलाल अग्रवाल,
4. अरूण कुमार आयु 51 वर्ष पिता सुन्दरलाल अग्रवाल,
5. शशिभूषण आयु 49 वर्ष पिता सुन्दरलाल अग्रवाल,
6. श्रीमति मायादेवी आयु 54 वर्ष पति स्व. विनोद कुमार अग्रवाल,
7. बरखा देवी आयु 36 वर्ष पिता स्व. विनोद कुमार अग्रवाल,
8. राखी अग्रवाल आयु 32 वर्ष पिता स्व. विनोद कुमार अग्रवाल,
9. पवन अग्रवाल आयु 33 वर्ष पिता स्व. विनोद कुमार अग्रवाल

सभी निवासी व्यंकट रोड रीवा थाना सिटी कोतवाली तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. द्वारा मुख्तियार आम रवि शंकर अग्रवाल आयु 44 वर्ष पिता कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवासी व्यंकट रोड रीवा थाना सिटी कोतवाली तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) ....निगरानीकर्त्तागण

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन ....गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. के निगरीनी प्रकरण क्रमांक 01/निगरानी/2016-17 पारित आदेश दिनांक 11.07.2018,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर,

निगरानीकर्त्तागण निम्नानुसार निगरानी पेश कर विनय करते है;-

मामले का संक्षिप्त तथ्य-

1. यह कि तत्कालीन हल्का पटवारी अमरकंटक के द्वारा वर्ष 2006 में माननीय कलेक्टर महोदय अनूपपुर को प्रतिवेदन दिया गया कि ग्राम अमरकंटक पटवारी हल्का अमरकंटक वृत्त भेजरी तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर म.प्र. स्थित आराजी खसरा नम्बर 94/3 रकवा 3.00 एकड के खसरा वर्ष 1956-57 से वर्ष

(34)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/4921/2018/अनूपपुर/भू–रा0 जिला–अनूपपुर

कैलाशचन्द्र अग्रवाल वगैरः/ म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 01/निगरानी/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडाल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	